संख्या: 33/2016/2580 /12-2-2016-बजट..2/2016

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 21 सितम्बर, 2016

विषय: प्रमाणित बीजों पर अनुदान दिये जाने की योजनान्तगत तिलहनी फसलों के बीजों पर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों एवं जनपद सोनभद्र, फतेहपुर एवं मिर्जापुर के लिए विशेष प्रोत्साहन हेतु कृषकों को उन्नतशील प्रजातियों पर अनुमन्य अनुदान में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 18/2016/1236/12-2-2016-2/2016 दिनांक 13 मई, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या: 1-1/2015-एमएम-1(ओएस) दिनांक 11 फरवरी, 2016 द्वारा खरीफ, 2016 में तिल की 10 वर्ष तक की प्रजातियों के बीजों के वितरण पर गत वर्ष अनुमन्य अनुदान रूपये 1200/-प्रति कुंतल के स्थान पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा धनराशि रूपये 5000/-प्रति कुंतल की सीमा तक का अनुदान अनुमन्य कर दिया गया है जिसे बाद में 15 वर्ष तक की प्रजातियों पर अनुमन्य किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि खरीफ, 2015 में उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा तिल के बीजों की फुटकर विक्रय दर रूपये 19,200/-प्रति कुंतल निर्धारित थी परन्तु खरीफ, 2016 में तिल के प्रमाणित बीजों की फुटकर विक्रय दर रूपये 11,170/-प्रति कुंतल निर्धारित की गयी है जबकि शासनादेश संख्या: 18/2016/1236/12-2-2016-2/2016 दिनांक 13 मई, 2016 में प्रदत्त अनुदान व्यवस्था तथा भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अन्तर्गत खरीफ, 2016 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सात जनपदों तथा मिर्जापुर, सोनभद्र एवं फतेहपुर कुल 10 जनपदों में तिल की 15 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजातियों पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार से निम्नानुसार अनुदान अनुमन्य है:-

(रूपये/कुंतल)

तिल प्रजाति श्रेणी	केन्द्र सरकार द्वारा देय अनुदान	राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विशेष अनुदान	अनुमन्य कुल अनुदान
तिल की 15 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजाति	5000.00	8800.00	13800.00

इस प्रकार खरीफ, 2016 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सात जनपदों तथा मिर्जापुर, सोनभद्र एवं फतेहपुर कुल 10 जनपदों में तिल की 15 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजातियों पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार से कुल रूपये 13800/- प्रति कुंतल का अनुदान अनुमन्य हो रहा है जबकि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विक्रय मूल्य रूपये 11170/-प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। यह विसंगति खरीफ, 2016 में तिल मूल्य में कमी हो जाने के कारण उत्पन्न हुई है।

3. अत: भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय (आयल सीड डिवीजन), कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या: 1-1/2015-एमएम-आई(ओ0एस0) दिनांक 11 फरवरी, 2016 के क्रम में खरीफ, 2016 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सात जनपदों तथा मिर्जापुर, सोनभद्र एवं फतेहपुर कुल 10 जनपदों में तिल की 15 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजातियों के बीज वितरण पर केन्द्र से देय अनुदान के अतिरिक्त राज्य सरकार से निर्धारित विशेष अनुदान रूपये 8800/- प्रति कुंतल को घटाकर रूपये 5500/-प्रति कुंतल का अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया उक्त निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 33 /2016/2580(1)/12-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, फैजाबाद रोड, महानगर, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अपर कृषि निदेशक(बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/ नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।